न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 89 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 139

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1.सांवलराम पुत्र मानाराम
2.सोनाराम पुत्र मानाराम
3.हंजादेवी पुत्री मानाराम पत्नी दलाराम जाति राईका
निवासी जेरला हाल सराणा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1.कोलाराम पुत्र मुकनाराम
जाति राईका व निवासी मूठली
तहसील सिवाना व जिला बालोतरा
2.धुकाराम पुत्र तेजाराम जाति राईका निवासी कनाना तहसील पचपदरा
3.पानीदेवी पत्नी भाकरराम जाति राईका व निवासी हरमलपुरा तहसील सिवाना
4.बाबुलाल पुत्र पन्नाराम के कायम मुकाम
4/1.भीखीदेवी पत्नी स्व. बाबुलाल
4/2.हनुमानराम पुत्र स्व. बाबुलाल
4/3.मालाराम पुत्र स्व. बाबुलाल
4/4.फुसाराम पुत्र स्व. बाबुलाल के वारिसान
4/4/1.कमियोदेवी बेवा फुसाराम पुत्र स्व. बाबुलाल जाति राईका व निवासी बिठूजा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
5.राणाराम पुत्र सवाईराम जाति राईका व निवासी रबारियों का टांका बालोतरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
6.शांतिदेवी पत्नी कानाराम जाति राईका व निवासी बालोतरा हाल सराणा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
7.रामा पुत्र पेमा जाति राईका व निवासी जेरला तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
8.कमला पत्नी टिकमाराम जाति जाट व निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 89 / 2023
सांयलराम बनाम कोलाराम वगैरा

9.तेजाराम पुत्र पुराराम जाति जाट व निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

10.वीरादेवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट व निवासी आदर्श चवा

11.मोड़ाराम पुत्र खेता जाति राईका निवासी जेरला तहसील पचपदरा

12.अमीनखां पुत्र मिश्रे खां जाति सिंधी मुसलमान व निवासी करालिया हाल मुराना तारघर के पास बालोतरा

13.पानी देवी पत्नी गिरधारीलाल जाति घांची निवासी जबरदस्त हनुमान मंदिर रोड़ बालोतरा

14.सलीम खां पुत्र लाल खां जाति सिंधी मुसलमान व निवासी करालिया हाल मुराना तारघर के पास बालोतरा

15.रामलाल पुत्र शंकरलाल,जाति मेघवाल व निवासी बालोतरा

16.हड़मानराम पुत्र हंजारीमल जाति मेघवाल व निवासी नेहरू कालोनी बालोतरा

17.नगर परिषद बालोतरा जरिए आयुक्त परिषद बालोतरा, जिला बालोतरा

18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 89 / 2023
सांवलराम बनाम कोलाराम वगैरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री ओमप्रकाश डावी व श्री सोहनलाल वारुपाल अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 20/02/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 673 / 118 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 673 / 118 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 673 / 118 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर,भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 4 से 9 का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 673 / 118 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4..हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 673 / 118 क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.0756 हैक्टेयर.भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 4 से 9 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति पेश नहीं की गए। उक्त रिपोर्ट के अभाव के कारण यह तय नही किया जा सकता है कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसियों में विवाद निहित हो। इस कारण उक्त रिपोर्ट के अभाव के कारण प्रार्थीगण विवादित भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 673/118 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

20/02/2026
(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20/02/2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

20/02/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा